

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपी सहित अधिवक्ता श्री के0के0 शुक्ला उप0।

फरियादी राजीव उर्फ राजू उप0।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि प्रकरण में आरोपी बांकलाल शर्मा के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 294,323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं। राजीनामा पूर्व में तस्दीक किया जा चुका है। फरियादी ने आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा लोकहित में है अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी बांकलाल शर्मा को भा0द0सं0 की धारा 294,323 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी पूर्व से जमानत पर है अतः उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1-

क.2-

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क्र0 21 गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0